पुलिस सुरक्षा देने के संबंध में आवेदक भरत गांधी द्वारा पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत लिखित वक्तव्य

1- पुलिस सुरक्षा के लिये आवेदक का नाम - भरत गांधी

2- यदि आवेदक सेवारत हैं तो नियोक्ता का विवरण

उत्तर- सेवारत नहीं है। राजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था के वर्तमान ढ़ाचे में सुधार के लिये कार्यरत हैं।

3- यदि सेवारत नहीं हैं तो व्यवयाय

उत्तर- आवेदक पूरा समय गत 20 सालों से पुस्तक लेखन, संगठन, देशव्यापी भाषण व प्रवचन, संसद में राजनीतिक व कानूनी सुधारों पर सांसदों के बीच ध्रुवीकरण का काम करता हैं।

4- आवेदक की आर्थिक स्थित या वार्षिक आय - आवेदक का खर्च उसके परिवार के सदस्यगण, उसके विचारों अनुयायी व समर्थक उठाते हैं, आवेदक की अपनी कोई निजी आमदनी नहीं है। आवेदक को कार, रेल व हवाई जहाज की सुविधा उसके अनुयायी व समर्थक सुलभ कराते हैं। आवेदक की पैत्रिक सम्पत्ति उसके नाम नही है, व उससे आवेदक को कोई आय भी नहीं मिलती। देश में आय का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिये ''वोटरशिप कानून'' बनने तक आवेदक ने निजी आमदनी का जरिया पैदा न करने की शपथ ली हुई है।

5- आवेदक की सामाजिक राजनैतिक पृष्ठभूमि-

5-1 आवेदक का परिचय-

जन्म : 12 फरवरी, 1969 को अन्य पिछड़े वर्ग के यादव समाज के एक श्रमिक परिवार में हुआ। स्थान - बम्बई। मूल निवासी- ग्राम-आनापुर, थाना- सिकरारा, जिला- जौनपुर, उ0 प्र0। शिक्षा - प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में। बचपन से ही मेधावी। उच्च शिक्षा इलाहबाद विश्वविद्यालय से। कई प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त की। 23 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में उत्तर प्रदेश सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी करने से किसी की रोजी रोटी न छिन जाये; इसलिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहिष्कार किया। सरकारी डिग्रियों की निर्थकता देखकर डिग्रियों का भी बहिष्कार किया और विधि स्नातक कोर्स को दूसरे वर्ष में छोड़ दिया। खुद को बेरोजगार रखकर बेरोजगारी की समस्या का समाधान ढूंढने का फैसला किया। इस प्रकार 24 साल की उम्र में लेखक के शैक्षिक जीवन का अंत हो गया।

5-2 आवेदक की गत १८ सालों की गतिविधियों का संक्षिप्त ब्योरा- सन् 1994 में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये 'नेफर' नामक संस्था बनाया। लेखक ने मेरठ व दिल्ली में राजनैतिक, आर्थिक, व संवैधानिक सुधारों और अध्यात्म व दर्शन पर तीन दर्जन से ज्यादा पुस्तकें लिखा। सन् 1997 में मजदूर बाजार में लेखक से वोटरों के जन्मजात आर्थिक अधिकारों, यानी वोटरशिप अवधारणा की खोज हुई। वोटरों की आजादी के लिए वोटरशिप अधिकार संबंधी कानून बनने तक विवाह न करने, व्यक्तिगत आमदनी, सम्पत्ति व बैंक खाता न रखने का 1997 में संकल्प लिया। लेखक ने सन् 1998 में आत्महत्या कर गये एक परिवार के मामले में 14 दिन तक प्राणघातक अनशन किया। 1999 में वोटरों की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आर्थिक आजादी आंदोलन परिसंघ का गठन किया। 15 अगस्त, 2000 में संविधान समीक्षा पर गठित वैंकटचलैया आयोग के समानान्तर संविधान सुधार पर अपनी रपट तैयार किया व राष्ट्रपति को सौपते हुए सुधारों को स्वीकारने की मांग की। मेरठ कताई मिल मजदूरों पर जब प्रशासन ने जुल्म किया, तो लेखक ने विरोध किया। प्रशासन ने रासुका कानून लगाकर लेखक को 20 जनवरी, 2001 को जेल में डाल दिया। किन्तु अपनी वकालत खुद करके लेखक 83 दिन बाद जेल से रिहा हो गया। सन् 2006 में लेखक ने 137 सांसदों के माध्यम से वोटरों को आर्थिक आजादी देने हेतु वोटरशिप का प्रस्ताव संसद में पेश कराया। एक्सपर्ट कमेटी की स्वीकृति के बाद भी एक उच्च स्तरीय राजनीतिक शाजिश के तहत संसद में बहस रोका गया व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने 137

सांसदों द्वारा पेश याचिका को 22 दिसम्बर, 2011 को नामंजूर कर दिया और लेखक को मामला लोकसभा में पेश करने को कह दिया। सन् 2011 में घोटालेबाज खरबपतियों ने जेल से बचने के लिये टीवी चैनलों के मालिकों की ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ नकली आंदोलन चलाया। ''लोकतांत्रिक लोकपाल विधेयक'' बनाकर व 9 मई 2011 को सरकार को सौंपकर लेखक ने समय रहते इस नकली आंदोलन को रोका और देश को बड़े खून-खराबे व निरर्थक सत्ता परिवर्तन के कुंए में गिरने से बचा लिया। वर्तमान में विश्व परिवर्तन मिशन के लिये लेखक कार्यरत है। लेखक का खर्च भरत गांधी कोरोनरी ग्रुप नामक संगठन उठाता है।

5-3 **राजनीतिक पृष्ठभूमि**- वोटरों के साझे धन का किराया हर महीना वोटरशिप के नाम से हर वोटर को सरकार द्वारा देने के अराजनीतिक आंदोलन की सन्- 2003 में भरत गांधी के नेतृत्व में एक राजनीतिक मोर्चा खोला गया। इस मोर्चे को **वोटर पेंशन पार्टी** कहा गया। इस पार्टी का नाम सन् 2008 में उस समय बदल दिया गया, जब संसद में तय बहस को रोक दिया गया। अब इसका नाम रखा गया- **वोटर्स पार्टी।** 2009 में इसी पार्टी का नाम बदलकर **वोटर्स पाटी इण्टरनेशनल** रखा गया, क्योंकि किसी अन्य ने पहले आवेदन करके इस पार्टी का नाम पंजीकृत करवा लिया। कुछ ही दिनों में यह पार्टी पंजीकृत हो जायेगी। भरत गांधी इस पार्टी के नीति निर्देशक हैं, जिसको व्यवहार में पार्टी अध्यक्ष की शक्तियां प्राप्त हैं। इस पार्टी ने विधानसभा चुनावों 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली बार 12 प्रत्यासी खड़े किये। वोट पाने में लगभग सभी जगहों पर इसके प्रत्यासी उ. प्र. की चार बड़ी पार्टियों के बाद पांचवें क्रम पर रहे थे, हालांकि पार्टी पुजीकृत न होने के कारण लिखत पढ़त में सभी को निर्दलीय प्रत्यासियों की सूची में डाल दिया गया था। सन् 2009 में पार्टी ने अमेठी व रायबरेली में अपने कार्यकर्ताओं से 1800 गांवों की पदयात्रा करवाया। परिणामस्वरूप कांग्रेस अमेठी से विधानसभा की 5 व रायबरेली से 3 सीटें हर गयी, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। पार्टी ने अपने मुद्दों के प्रति देश का घ्यानाकर्षण करने के लिये उस समय अपना प्रत्यासी खड़ा करने का फैसला किया जब मुख्यमंत्री बन जाने के कारण कन्नौज की लोकसभा सीट रिक्त हो गई व वहां चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की। इस चुनाव मे प्रत्यासियों का अपहरण की घटना घट जाने के कारण पार्टी चुनाव लड़ पाने में विफल रही।

5-4 **दिल्ली कार्यालय का पत्र व्यवहार**-भरत गांधी, लॉ कन्सल्ट्स, 402 न्यु लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली- 110001, फोन: 09818 433 422, 09651991100 Email: votership@gmail.com, Website: www.politicalreforms.org

6- **स्थायी पता** - भरत गांधी पुत्र श्रीराम, 6/1067 ग्लोबल चाइल्ड मेडीक्लीनिक, डीपीएस. रोड, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,। पिन-226031 इसके पहले आवेदक सी 471/1, सेक्टर- जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, क`पते पर रहता था। यह मकान किराये का था। आवेदक के छोटे भाई के अपने मकान का निर्माण हो जाने के बाद आवेदक उक्त नये निर्माणाधीन पर रहने लगा।

7- **अस्थायी पता**

1) दिल्ली जाने पर आवेदक ज्यादातर मकान न.-बी. 29 मेन रिंग रोड, भजनपुरा, दिल्ली, पिन-110053 के पते पर रहता है। पहले 218 गली -7 फ्रेंड्स एन्क्लेव, सुल्तानपुरी रोड, दिल्ली के पते पर रहता था। यहां अब कम ही जाना होता है। वैसे आवेदक के कई अनुयायी हैं जो आवेदक को अपने-अपने घरों पर ठहराना व संगत का लाभ लेना पसंद करते हैं।

2) उत्तर प्रदेश में आवेदक भरत गांधी पुत्र श्रीराम, ग्राम- आनापुर, पो.- मछलीशहर, थाना- सिकरारा, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश। यह स्थान आवेदक का पैत्रिक गांव है, जहां बहुत ही कम रहता है।

3) महाराष्ट्र की यात्रा पर जाने पर आवेदक प्राय: सेन्टनरी हिल्स, फारेस्ट कालोनी, काटोल रोड, नागपुर, महाराष्ट्र के पते पर अपने एक समर्थक के निवास पर ठहरता है। मुंबई के प्रवास पर रहने पर आवेदक प्राय: किसी होटल में या अपने बड़े भाई विजय शंकर यादव के निवास- 203 नेस्को कालोनी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व-440063 में ठहरता है।

8- आवेदक के परिवार के सदस्यों के नाम व उनके स्थायी पता

1) **पत्नी व बच्चे**- संसद में वोटरशिप कानून बनने तक विवाह न करने के 27 साल की उम्र में ली गई शपथ के कारण आवेदक अविवाहित है। अपने लखनऊ, मुंबई व पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवास के दौरान आवेदक क्रमश: छोटे भाई, बड़े भाई व जौनपुर के पैत्रिक निवास के पते पर रहता है।

2) **छोटे भाई व उसकी पत्नी**- डॉ. त्रिभुवनेश यादव, एम. डी. (डॉ. टी. आर यादव) का पता है- 6/1067 ग्लोबल चाइल्ड मेडीक्लीनिक, डीपीएस. रोड, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन-226031.

३) **बड़े भाई व भाभी**- श्री विजय शंकर यादव व श्रीमती रीता यादव, पता- प्लैट न. -203, आर-2 बिल्डिंग, नेस्को कालोनी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुंबई- 400063, महाराष्ट्र। अपने मुबई प्रवास के दौरान आवेदक इसी पते पर रहता है।

४) **पिता व माता**- श्री श्रीराम यादव उर्फ पुजारी व बच्ची देवी, पता- प्लैट न.-203, आर-2 बिल्डिंग, नेस्को कालोनी, अहमदाबाद हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुंबई- 400063, महाराष्ट्र। माता-पिता कभी-कभी अपने पैत्रिक निवास जिला जौनपुर के पते पर भी रहते हैं। अपने पर्वी उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान आवेदक इसी पते पर रहता है।

9- आवेदक के जीवनभय के विशिष्ट कारणों का विवरण-

1. आपराधिक शाजिस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव के कथित रूप से निर्विरोध संसद सदस्य बन जाने के खिलाफ पुलिस में, मानवाधिकार आयोग में, केन्द्र व राज्य सरकार के गृह मंत्रालय में, हाई कोर्ट में व सुप्रिम कोर्ट में वाद दायर कर देने के कारण मुख्यमंत्री के परिवार की मीडिया में, प्रदेश में व पूरे देश में हुई बदनामी से आक्रोशित मुख्यमंत्री परिवार के सदस्य व उनके वे आपराधिक सहयोगी आवेदक के जीवनभय के कारण बने हुये हैं।
2. कन्नौज के मामले में अपहरणकर्ताओं के खिलाफ 5 वर्ष बीत जाने पर भी प्राथमिकी दर्ज न होने से व निष्पक्ष जांच न होने से सत्ताधारी समाजवादी पार्टी से जुड़े आपराधिक तत्वों का मनोबल बढ़ा हुआ है व ऐसे लोग मुख्यमंत्री परिवार के सदस्यों के कहे या बिना कहे ही उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर आवेदक भरत गांधी पर आने वाले दिनों में हमला कर सकते हैं व आवेदक के जीवनभय के कारण बने हुये हैं।
3. मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव पर किये गये मुकदमों को वापस लेने, जहां से मुख्यमंत्री के परिवार के लोग चुनाव लड़ते हैं वहां चल रही संगठन व राजनीतिक गतिविधियां रोकने अन्यथा अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले हिडेन फोन नम्बरों की काल्स आवेदक के जीवनभय के कारण बने हुये हैं।
4. पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के द्वारा किये गये व कराये गये अपराधों के मामलों में चल रही सीबी सीआईडी जांच के समाचार से आक्रोशित समाजवादी पार्टी के आपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता आवेदक के जीवनभय के कारण बने हुये हैं।
5. भरत गांधी के निर्देशन में काम कर रही वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल के बढ़ते जनाधार से आक्रोशित मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के आपराधिक समर्थक लोग, आब्सू (ABSU) नामक संगठन व लगातार असम में भारी संख्या में नरसंहार करने के लिये कुख्यात आतंकवादी संगठन ''नेशनल डिमोक्रेटिक फंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB)'' आवेदक के जीवनभय के कारण बने हुये हैं। आब्सू के उग्रवादी 14 अप्रैल, 2014 को अवोदक पर हमला कर चुके हैं, संयोगवश बातचीत से उग्रवादियों को प्रभावित कर देने व पैरामिलिटरी फोर्सेस के तत्काल ऐक्शन के कारण आवेदक जीवित बच गया। मामले पर उदालगुड़ी जिले

में मुकदमा चल रहा है। ''नेशनल डिमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB)'' के केन्द्रीय नेताओं ने आवेदक को असम में काम बंद करने या अंजाम भुगतने की धमकी दे रखी है। मामले पर माननीय एन. एच. आर. सी. ने संज्ञान ले रखा है। हलांकि असम प्रदेश में प्रार्थी को असम पुलिस ने उच्च श्रेणी की सुरक्षा दे रखा है किन्तु उक्त उग्रवादी संगठनों के कार्यकर्ता असम प्रदेश के बाहर किसी भी प्रदेश में, यहां तक कि आवेदक के लखनऊ निवास के आसपास या रेल व कार यात्रा के दौरान आवेदक पर हमले कर सकते हैं।

6. समाजवादी पार्टी के वे प्रमुख केन्द्रीय नेता व आपराधिक कार्यकर्ता जो भरत गांधी के बारे में जानते हैं कि वे यादव परिवार में पैदा हुये हैं, असाधारण प्रतिभाशाली हैं, असाधारण वक्ता हैं, 40 से भी अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, उनके त्याग- तपस्या व दर्शन के कारण आम जनता अपनी जान की बाजी लगाकर भी उनके नेतृत्व में जुड़ती जा रही है....। यादव जाति के लोगों के बीच जैसे ही यह भेद खुलेगा, वैसे ही उ. प्र. के यादव वर्ग मुलायम सिंह परिवार की बजाय भरत गांधी को अपना नेता मानने लगेगा। ऐसा हो, इसके पहले ही भरत गांधी की हत्या करवा दिया जाये- जिससे मुलायम सिंह परिवार उत्तर प्रदेश में आगे भी यादव जाति का नेता बना रह सके। ऐसी सोंच रखने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख केन्द्रीय नेता व आपराधिक पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता लोग आवेदक के जीवनभय के कारण बने हुये हैं।

10-जिन लोगों से जीवनभय की आशंका व्यक्त की गई है, क्या उनके विरुद्व आवेदक द्वारा पूर्व में कोई प्रत्यावेदन दिया गया है, यदि हां, ता उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

उत्तर- 21 जून, 2012 से लेकर अब तक लगातार तमाम प्रत्यावेदन दिये गये हैं। इन सभी प्रत्यावेदनों की प्रतियां सुप्रीम कोर्ट में दायर संबंधित क्रिमिनल रिट याचिका में संलग्न है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न होने की दशा में उ. प्र. समचना आयुक्त के कार्यालय में मामला लम्बित है। माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी सुरक्षा देने का मामला लम्बित है। आयोग ने दिनांक 02.03.2015 को उ. प्र. व असम के डीजीपी को सुरक्षा संबंधी जांच करके चार सप्ताह में रपट देने को कहा है।

11-जिन लोगों से जीवनभय की आशंका व्यक्त की गई है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? ऐसे लोगों का आपराधिक इतिहास का विवरण, उनके विरुद्व पुलिस कार्यवाही का विवरण, उनकी भूत गतिविधियां आदि.....।

उत्तरः सांसद, विधायक व मंत्री के पदों पर विराजमान मुलायम सिंह परिवार के सदस्यों के आपराधिक इतिहास का ब्योरा पहले से पुलिस विभाग के पास मौजूद है। अपने राजनीतिक शत्रुओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते हैं इसका एक उदाहरण बहुचर्चित गेस्ट हाउस काण्ड है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री व बहुजन समाज पार्टी की तत्कालीन नेता सुश्री मायावती पर हमले के आरोपों से संबंधित बहुचर्चित इस गेस्ट हाउस काण्ड का ब्योरा भी पहले से पुलिस विभाग के पास मौजूद है। मुलायम सिंह परिवार के सदस्यों के शत्रु जा भरत गांधी पर हमला कर सकते हैं उनके बारे में भी विस्तृत ब्योरा पहले से पुलिस विभाग के पास मौजूद है। अतः इन सबकी पुनरावृत्ति करने की काई जरूरत नही है। आवेदक भरत गांधी की पुस्तकों, आंदोलनों, उनके निर्देशन में चल रहे संगठनों, राजनीतिक पार्टियों, नीतियों व मुद्दों के कारण समाज के तमाम वर्गों को आक्रोश होना स्वाभाविक ही है। उनमें से एक-एक करके चिन्हित करना व उनके आपराधिक इतिहास का विवरण देना संभव नही है।

12-आवेदक का आपराधिक इतिहास (यदि हो तो चार्जशीट, आरोप पत्र, प्राथमिकी, दोषमुक्त, सजा)-

उत्तरः कोइ नहीं।

13-वर्तमान में आवेदक का आपराधिक तत्वों से संपर्क का विवरण-

उत्तरः कोई संपर्क नहीं।

14-**परिवार में लाइसेंसी शस्त्रों का विवरण एवं व्यय भार-**

उत्तरः परिवार में कोई भी लाइसेंसी शस्त्र नहीं है।

15-**यदि आवेदक को पहले से सुरक्षा प्राप्त है तो वह किसके आदेश से, कब से?**

उत्तर: आवेदक को सुरक्षा प्राप्त नही है।

16-**यदि आवेदक को पहले से ३ वर्षों से सुरक्षा प्राप्त है तो वह किस अवधि के लिये व कितने व्यय भार पर प्रदत्त है?**

उत्तर: आवेदक को सुरक्षा प्राप्त नही है।

17-क्या निजी सुरक्षाकर्मी शस्त्र लेकर आवेदक के साथ चलते हैं?

उत्तर: आवेदक के अनुयायी व समर्थक कभी-कभी अपने लाइसेंसी गन लेकर चलते हैं।

18-क्या शासन द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के दुरुपयोग की संभावना है? यदि हां तो विवरण।

उत्तर: सुरक्षा के दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है।

19-क्या आवेदक किसी जघन्य अपराधी का पैरोकार / वादी / गवाह है? यदि हां तो वर्तमान में उस वाद की स्थित क्या है?

उत्तर: नहीं।

20-क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों से भी शिकायत है?

उत्तर: कन्नौज में 6-12-2012 को कचहरी परिसर में दिन दहाड़े घटी सामूहिक अपहरण में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कम से कम प्रदेश भर के लगभग 800 खूंखार अपराधियों को लगाया गया था। बिना प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के कचहरी के अंदर यह अपराध संभव नहीं था। इस अपहरण काण्ड में कन्नौज सदर के तत्कालीन कोतवाल श्री बी. एल. यादव की भूमिका नि:संदेह थी। बाद में चुनाव आयोग के कहने पर तत्कालीन डी. एम. सिल्चा कुमारी जे. ने जो जांच रिपोर्ट दिनांक-06.06.2012 आयोग को सौंपा, उसकी भाषा से कोई भी समझ सकता है कि इस अपहरण की शाजिस की जानकारी कन्नौज जनपद की तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती डी. एम. सिल्चा कुमारी जे. के संज्ञान में पहले से थी। किन्तु पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की पत्नी को निर्विरोध सांसद बनाने के लिये डीएम ने इस अपहरण काण्ड को नजरंदाज किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 22.01.2013 को पहले तो तत्कालीन डीजीपी श्री देवराज नागर ने नजरंदाज किया। फिर आरटीआई आवेदन दिनांक- 15.07.2013 का जवाब देने की मजबूरी में आनन-फानन में अपने पत्र दिनांक- 30.07.2013 के माध्यम से यह सूचना दे दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 22.01.2013 के अनुसार प्रेषित आवेदक के आवेदन दिनांक- 05.02.2013 पर विचार किया गया। आवेदक को कोई खतरा नहीं पाया गया। संबंधी जांच पत्रावली की जब आवेदक ने आरटीआई के तहत मांग किया तो डीजीपी कार्यालय का सेक्शन-10 गैर कानूनी तरीके से जवाब देने से मुकर गया। यही जांच पत्रावली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश 16.10.2015 द्वारा भी मांगा गया। डीजीपी कार्यालय का सेक्शन-10 आयोग को जवाब/पत्रावली देने से फिर मुकर गया। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश दिनांक-4 अप्रैल, 2017 द्वारा पत्रावली याचिकाकर्ता श्री भरत गांधी को देने का आदेश दिया। किन्तु दिनांक-14 जुलाई, 2017 को सुनवाई के दौरान डीजीपी कार्यालय के सूचनाधिकारी ने कहा कि उसे आयोग सजा दे दे, किन्तु कुछ कारणों से वह पत्रावली याचिकाकर्ता को नही दे सकते। बात स्पस्ट है कि पत्रावली में प्रार्थी को उच्च श्रेणी की सुरक्षा देने की सिफारिश की गई है। किन्तु तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के दबाव में प्रार्थी को सुरक्षा नहीं दी गई। इसलिये पत्रावली देने से बात खुल जाने का डर है। श्री अखिलेश यादव के दबाव में गलत काम करने वाले तत्कालीन पुलिस महानिदेशक श्री देवराज नागर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कन्टेम्प्ट का मुकदमा नहीं चलाया सका, क्योकि वह रिटायर्ड हो गये थे।

इस बीच खतरा बढ़ते जाने पर और कहीं से राहत न मिलने पर आवेदक को 11 नवम्बर 2013 में माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा। घटनाओं से स्पष्ट है कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय के तत्कालीन सूचनाधिकारी की भूमिका भी ठीक नही है। माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस पर जिस तरह की भाषा में कन्नौज के सी. ओ. श्री करन सिंह ने आयोग को अपनी रिपोर्ट दिनांक- 22.08.2014 भेजी, उससे तो साफ जाहिर है कि जवाब स्वयं अपहरण के अभियुक्तों ने ही डिक्टेट करके लिखवाया है। सीओ श्री करन सिंह ने अभियुक्त

गजेन्द्र सिंह, नवाब सिंह यादव आदि के अपहरण के दिन व आसपास के दिनों में किये गये टेलीफोन का कॉल रिकार्ड मांगे जाने के बाद भी आयोग को नही सौंपा। फिर भी अभियुक्तों को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद तो लखनऊ के एस.एस.पी. ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के आपराधिक कृत्य मे सहयोग करते हुये अपनी रिपोर्ट दिनांक-19.05.2014 में यह लिख कर हद ही कर दी कि आवेदक भरत गांधी लखनऊ की बजाय मयूर बिहार, दिल्ली के रहने वाले हैं। इसलिये उनको उ. प्र. पुलिस सुरक्षा क्यों दे? जानबूझ कर जो अधिकारी अपहर्ताओं के बचाव में लगे रहे हैं, कहीं न कहीं उनका संपर्क अपहरण की साजिश रचने वालों से अवश्य है। किन्तु ये जांच का विषय है, जो अब सीबी सीआई डी कर रही है। प्रार्थी ने आयोग को प्रेषित उक्त आवेदन दिनांक 10.10.2015 के माधयम से उस गाड़ी का नम्बर सम्प्रेषित किया, जिस गाड़ी के द्वारा समाजवादी पार्टी के हमलावरों ने प्रार्थी के जानकीपुरम विस्तार स्थित आवास पर दिनांक 04.07. 2015 को हमला किया था। इस गाड़ी का नम्बर था U P 32 E L 5656 । प्रार्थी का यह आवेदन जब आयोग के आदेश दिनांक 16.10.2015 के साथ संलग्न होकर डी.जी.पी. ऑफिस पहुंचा, तो समाजवादी पार्टी के अभियुक्तों को गाड़ी नम्बर के खुलासे की जानकारी हो गयी। फिर समाजवादी पार्टी के परिवहन मंत्री और लखनऊ के आर.टी.ओ. ने अभियुक्तों से मिलकर आर.टी. ओ. ऑफिस के गाड़ियों की डिजिटल लिस्ट से यह नम्बर डिलीट करवा दिया। कुछ समय बाद इसी नम्बर से एक दोपहिया वाहन रजिस्टर करा दिया गया। दिनांक 04.07.2015 को जब प्रार्थी के आवास पर हमला हुआ तो जानकीपुरम विस्तार के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री राम विशाल यादव को इस घटना की जानकारी लगभग 24 घण्टे बाद दिनांक 05.07.2015 को दी गयी। श्री रामविशाल यादव जी ने जान-बूझकर एक फर्जी रिपोर्ट बनायी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी, जिसमें लिखा था (24 घण्टे बाद) ''जब आवेदक की शिकायत सी.यू.जी. नम्बर पर मिली तो मौके पर पुलिस फोर्स भेजी गयी। लेकिन वहां पर कोई हमलावर नहीं मिला। इसलिए शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पायी गयी।'' स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट फर्जी है। क्योंकि घटना के 24 घण्टे बाद तक हमलावर पुलिस की गाड़ी का इंतजार करने के लिए घटनास्थल पर विश्राम नहीं करते रहेंगे। यह सर्वविदित है कि श्री रामविशाल यादव का सीधा सम्पर्क प्रार्थी के केस के मुख्य अभियुक्त श्री अखिलेश यादव के परिवार से रहा है। उन्होंने वर्दी का धर्म निभाने की बजाय रिश्तों का धर्म निभाया। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली इससे भी खतरनाक रिपोर्ट दिनांक 19.08.2016 को अलीगंज के तत्कालीन सी.ओ. श्री राजेश कुमार यादव ने लगाई। उन्होंने तो आयोग की आंख में धूल झोंकते हुए यह लिख दिया कि प्रार्थी भरत गांधी से पुलिस इंस्पेक्टर डी.पी. सिंह ने सुरक्षा सम्बन्धी जांच के सिलसिले में मुलाकत की और प्रार्थी भरत गांधी ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। सी.ओ. श्री राजेश कुमार यादव ने हजारों पृष्ठों के लिखित दस्तावेज को अपनी 2 लाइनों से नकारते हुए जरा सी शर्म महसूस नहीं की। क्योंकि इनका भी घनिष्ठ सम्बन्ध समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार से है। पुलिस सुरक्षा तत्काल देने व मामले की जांच प्रदेश की सीबी सीआईडी से कराने संबंधी मानवाधिकार आयोग के आदेश दिनांक 24.02.2016 को पूरे एक साल तक प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव श्री देवाशीष पाण्डा ने ठण्डे बस्ते में डाले रखा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। न तो प्रार्थी को पुलिस सुरक्षा दिया और न तो सीबी सीआईडी को जांच करने की अनुमति ही दिया।

इस बीच चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी की सरकार चली गयी और भाजपा की सरकार बनी। प्रार्थी की ओर से नये मुख्यमंत्री से सम्पर्क साधा गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि आयोग के आदेश दिनांक 24.02.2016 पर कार्यान्वन शुरू किया गया। भाजपा सरकार ने प्रार्थी के केस की जांच सी.बी.सी.आई.डी. से कराने की अधिसूचना दिनांक 03.04.2017 जारी की और गृह सचिव ने प्रार्थी को पुलिस सुरक्षा मंजूर करने के लिए दिनांक 19.04.2017 को आदेश जारी किया। यह खबर दैनिक जागरण की प्रादेशिक खबर बनी। सुरक्षा सम्बन्धी जांच फिर से उन्हीं कर्मचारियों के पास आ गयी, जो एस.एस. पी ऑफिस में, एल.आई.यू. ऑफिस में, सी.ओ, अली गंज आफिस में और

जानकीपुरम विस्तार थाने में पहले से समाजवादी पार्टी सरकार/मुख्य अभियुक्त श्री अखिलेश यादव द्वारा तैनात किये गये थे और इस मामले में पहले भी कई बार झूठी रिपोर्ट पेश कर चुके थे। अपने झूठे स्टैण्ड को कायम रखते हुए पुरानी पत्रावलियों के अनुसार एक बार फिर प्रार्थी की सुरक्षा के संबंध में झूठी रिपोर्ट लगाई गयी। प्रार्थी को इस झूठी रिपोर्ट की जानकारी दिनांक 23.05.2017 के एस.एस.पी. ऑफिस लखनऊ के पत्र के माध्यम से मिली।

कथित जांच के नाम पर न तो हमलावरों की गाड़ी मालिक पर एफ.आई.आर. दर्ज की गयी, न ही प्रार्थी की चलती हुई कार पर दिनांक 31.01.2016 की रात में लखनऊ-मुहान रोड़ पर हमला करने वाले हमलावरों पर केस दर्ज किया गया और न ही दिनांक 15.11.2016 को प्रार्थी के लखनऊ आवास पर दूसरी बार हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया लेकिन एस.एस.पी. ऑफिस लखनऊ ने कथित जांच के आधार पर प्रार्थी को एक पत्र दिनांक 23.05.2017 को भेजते हुए यह सम्प्रेज़ित किया कि प्रार्थी भरत गांधी को सुरक्षा का कोई खतरा नहीं पाया गया। इसके बाद प्रार्थी ने पूरे वाकये से नये मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी को और नये प्रमुख सचिव (गृह) श्री अरविन्द कुमार को अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रार्थी भरत गांधी की सुरक्षा के मामले में नये सिरे से जांच का आदेश दिया। प्रश्नगत इस जांच में क्या होता है, यह देखने वाली बात है।

फिलहॉल, डीजीपी कार्यालय के सूचनाधिकारी को दण्डित करने के लिये आयोग सजा संबंधी आदेश रिजर्व कर लिया है, अब 12 सितम्बर, 2017 को आयोग यह सजा सुनायेगा। सुरक्षा की जांच के नाम पर बार-बार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई आपराधिक साजिश को देखते हुये प्रार्थी को सुरक्षा मिलने की उम्मीद समाप्त हो चुकी है। अतः सुरक्षा प्राप्त करने और दोषी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर प्रार्थी के सामने उच्च न्यायलय में वाद दाखिल करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है।

21-सुरक्षा प्रदान करने के बारे में आवेदक की राय -

उत्तरः आवेदक को प्रदेशव्यापी इस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिये जिससे पूरे प्रदेश में उसके स्थाई या अस्थाई आवास, उसकी सड़क यात्राओं, रेल यात्राओं या हवाई यात्राओं के दौरान व उसके भीड़भाड़ युक्त सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़े अपराधियों और नेशनल डिमोक्रेटिक फंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के आतंकवादियों की हथियारबंद भीड़ के हमले से सुरक्षित रखा जा सके। चूंकि प्रार्थी को जीवनभय सत्ता से अभी-अभी बेदखल हुई प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखियागणों से है और प्रदेश पुलिस में इस पार्टी के बड़ी संख्या में अंधभक्त भर्ती हो चुके हैं। अतः प्रार्थी के सुरक्षा दस्ते में पुलिस की निष्पक्षता हो व यह निष्पक्षता दिखाई भी पड़े, इस उद्देश्य से आवेदक को कम से कम जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाये और सुरक्षा दस्ते में प्रदेश पुलिस के साथ-साथ केन्द्रीय बलों को भी लगाया जाये। जिससे प्रार्थी समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे क्षेत्रों में भी जनता का ध्रुवीकरण सुरक्षापूर्वक कर सके व अपनी पार्टी- वीपीआई का जनाधार फैला सके।

आवेदक

(भरत गांधी)

लखनऊ
16 जुलाई, 2017